पत्रांक : केन्द्रीय (मा०)–411/22 के०-01

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 02/01/2023

विषयः **वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 9वीं में नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं का पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन विलम्ब शुल्क के साथ भरे जाने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 (सत्र 2023–2024) में सम्मिलित होने के लिए राज्य के माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं का पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र विद्यालय प्रधान के माध्यम से ऑनलाइन विलम्ब शुल्क के साथ भरे जाने हेतु **दिनांक 09.01.2023 तक अवधि विस्तारित किया गया है।**

2. अंकनीय है कि जिन छात्र/छात्रा का विद्यालय के प्रधान द्वारा **दिनांक 31.12.2022** तक ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा गया है, परन्तु चालान नहीं निकल पाने अथवा अन्य किसी कारणवश शुल्क जमा नहीं कर सकें हों, तो वैसे विद्यालय प्रधान **दिनांक 09.01.2023** तक शुल्क जमा कर सकते है। इसके लिए समिति का पोर्टल लगातार खुला रहेगा।

3. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का पंजीयन/अनुमति आवेदन भरा जायेगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा। जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे विद्यालयों से पंजीयन/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा–A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें की प्रविष्टि नहीं की जाएगी। ऐसा पाये जाने पर इस तरह के पंजीयन/अनुमति आवेदन को रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

4. उल्लेखनीय है कि **पंजीयन/अनुमति आवेदन प्रपत्र के कॉलम–16 में अभ्यर्थी का आधार नंबर अंकित किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को आधार कार्ड/नंबर आवंटित नहीं हुआ है, तो इस आशय की घोषणा कॉलम–17 में अनिवार्य रूप से की जाएगी। इस विषय में कॉलम–16 एवं 17 में स्पष्ट निदेश अंकित किया जाना आवश्यक है।**

5. वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 में व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत ऐच्छिक विषय के रूप में सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), ऑटोमोबाईल (Automobile), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई0टी0/आई0टीज0 (IT/ITes) ट्रेड को आठवें विषय के रूप में शामिल किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत उक्त विषयों/ट्रेडों के पठन–पाठन की व्यवस्था के लिए जिलें में विद्यालयों को **चिन्हित** किया गया है। ऐसे विद्यालयों की सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। इन विद्यालयों में इस विषय/ट्रेड का अध्ययन कर रहे छात्र/छात्रा के द्वारा ही इनमें से किसी एक का चयन कर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। **राज्य/जिला के अन्य विद्यालयों के छात्र/छात्राओं** के द्वारा इन विषयों का **चयन नहीं** किया जाएगा। पंजीयन आवेदन प्रपत्र के स्तंभ–25 में इसका उल्लेख किया गया है। चिन्हित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के द्वारा इसमें से एक का चयन करते हुए संबंधित बॉक्स में (√) किया जाएगा। उक्त आलोक में **विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 253/2022** दिनांक 01.01.2023 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित की गयी है तथा इसकी प्रति **ज्ञापांक–के0मा0–411/2022–के0 1280, दिनांक 31.12.2022** के द्वारा आपके ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जा चुका है।

6. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि सभी संबंधित विद्यालय प्रधान को विशेष रूप से सूचित करना सुनिश्चित करेंगे कि विद्यालय के अर्हता प्राप्त छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए पंजीयन/अनुमति आवेदन की सतर्कतापूर्वक जाँच करने के उपरांत ही अपनी निगरानी एवं देख–रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे ताकि किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में आपके द्वारा इसकी सत्यापित प्रति समिति को उपलब्ध करायी जा सके। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण पंजीयन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु विद्यालय प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। समिति द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में एवं निर्गत विस्तृत अनुदेश के आलोक में अपने जिलान्तर्गत अधीनस्थ सभी विद्यालय प्रधान को आवश्यक कार्रवाई हेतु स्पष्ट निदेश देने की कृपा की जाय ताकि अर्हता प्राप्त कोई छात्र/छात्रा पंजीयन/अनुमति आवेदन से वंचित न रहें।

7. विदित हो कि कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पंजीयन/अनुमति आवेदन भरते/भराते समय इस कार्य में संलग्न सभी संबंधितों के द्वारा मास्क का धारण अनिवार्य रूप से करते हुए आपसी सामाजिक दूरी (Social Distancing) का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे तथा कोविड–19 के S.O.P (Standard Operating Procedure) तथा कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन

02/1/23

02.01.23

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)–411/22 80–01 / पटना, दिनांक : 02 / 01 / 2023

प्रतिलिपि :

1. मे0 डाटासॉफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा0 लि0 को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार पंजीयन/अनुमति आवेदन पत्र भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु निर्धारित समय तक पोर्टल चालू रखने की सभी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे विद्यालयों से कदापि पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसके लिए अनिवार्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा–A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें की प्रविष्टि नहीं की जाएगी तथा ऐसे पंजीयन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक, बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, बुद्ध मार्ग, पटना, शाखा प्रबंधक, एच०डी०एफ०सी० बैंक, मौर्यालोक शाखा, पटना एवं शाखा प्रबंधक, Axis Bank, Patliputra Colony Branch, Patna को उक्त के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. उप निदेशक, आई0टी0/सिस्टम एनालिस्ट (माध्यमिक) को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि अपने निगरानी एवं पर्यवेक्षण में उक्त के आलोक में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित की जाय तथा इसका निरंतर अनुश्रवण किया जाय ताकि किसी प्रकार की त्रुटि एवं विसंगति न हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है, वैसे विद्यालयों से कदापि पंजीयन/अनुमति आवेदन नहीं भरा जा सके, इसलिए निदेशक (शैक्षणिक) से समन्वय कर ऐसे विद्यालयों की अद्यतन सूची अनिवार्य रूप से प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही किसी भी परिस्थिति में ऑनलाइन पंजीयन/अनुमति आवेदन भरने के दरम्यान छात्र/छात्रा एवं उनके माता–पिता के नाम तथा अन्य विवरणी के स्थान पर अंग्रेजी के वर्ण यथा–A, B, C, AB, BC, X, XY, XYZ आदि छद्म एवं बेनामी नाम/डमी आंकड़ें की प्रविष्टि नहीं की जाएगी, तथा ऐसे पंजीयन आवेदन स्वीकार नहीं करने हेतु कारगर तकनीकी व्यवस्था सहित सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। यह भी अनुरोध है कि छात्र/छात्रा, मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस पत्र की प्रति समिति के निर्दिष्ट BSEB Mobile App पर डाल दिया जाय ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
5. निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि जिन विद्यालयों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस लिया जा चुका है एवं वैसे विद्यालयों से छात्र/छात्राओं का माध्यमिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए पंजीयन/अनुमति एवं परीक्षा आवेदन कदापि नहीं भरा जाना है, उन विद्यालयों की अद्यतन सूची शीघ्र उप निदेशक, आई0टी0 (मा0) को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
6. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक, आई0टी0 तथा परीक्षा नियंत्रक (उ०मा० एवं विविध) को सूचनार्थ प्रेषित।

02.01.23

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

02/1/23 2/1/23

Letter C1_22_2